



Approval No. 152/BMC/24-25

Date 23/05/25

फार्म-VIII-क

**भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम
उपविधि संख्या-8(4)**

आपके आवेदन संख्या- **1290**, तिथि- **14/12/2024** के संदर्भ में श्रीमति/श्री **विष्णु कुमार जैन**, पिता-**स्व0 छोटेलाल जैन**, पिता/पति- के लिए

- (क) भूमि विकास की अभिन्यास (ले-आउट) योजना के लिए
(ख) भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने के लिए

भागलपुर नगर निगम, भागलपुर क्षेत्रान्तर्गत बिहार नगरपालिका 2007 की धारा-314 और बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-81(2) (ब) के अंतर्गत खाता नं0:-**177**, खेसरा सं0:- **1143**, होल्लिंग नं0:- **Old- 27B, BMC 1121-14009701**, पता- फोर्ट रोड नं0 - **01** नाथनगर, भागलपुर, वार्ड नं0:- **11**, के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती हैं:-

- (क) भूमि का उपयोग अनन्य रूप से **B+G+4 (Residential)** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **Basement - 297.37, Open Area - 39.71, Total - 337.08** वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **9.40** मीटर चौड़ाई के पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छदित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति ;अनुज्ञा जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति उस भूखंड, जिसके योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार/हक/हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बात कोई विवाद होने पर, विवाद की अवधि के दौरान योजना स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) कोई अन्य शर्त।

ह0/-

उप नगर आयुक्त
नगर निगम भागलपुर

ज्ञापांक:- 639 /भा0न0नि0

दिनांक :- 23/05/25

प्रतिलिपि:- अनुमोदित योजना की 02 (दो) प्रतियों के साथ श्रीमती/श्री **विष्णु कुमार जैन**, पिता-**स्व0 छोटेलाल जैन** को अग्रसारित।

Dy. Municipal Commissioner
Bhagalpur Municipal Corporation